तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 15/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म व तामिलमें जारी हुए
22.5.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी निबाराम पुत्र खीमाराम माली, जाति– माली, निवासी– वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स शक्ति किराणा स्टोर, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा मैसर्स शक्ति किराणा स्टोर, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता निबाराम पुत्र खीमाराम माली, निवासी– वीरवाडा से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ सरसों तेल डबल फिलटर (जय अम्बे ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1987 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./120/Act/2023/163 दिनांक 02.02.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही होने से प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 22.5.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित नही हुये। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर विधि सम्मत निस्तारण किया जा रहा है। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 19.01.2023 को समय 12.45 पी. एम. पर मैसर्स शक्ति किराणा स्टोर, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। मैसर्स शक्ति किराणा स्टोर में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी निबाराम पुत्र खीमाराम माली, जाति– माली, निवासी– वीरवाडा उपस्थित मिलें, जो मैसर्स शक्ति किराणा स्टोर में खाद्य पदार्थ सरसों तेल डबल फिलटर (जय अम्बे ब्राण्ड) का आम जनता को .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 15/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामिलमें जारी हुए
	विक्रय करता है। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता को विक्रय हेतु उपयोग में लिये जाने वाले खाद्य पदार्थ सरसों तेल डबल फिल्टर (जय अम्बे ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता निबाराम पुत्र खीमाराम माली को गवाह श्री प्रकाश कुमार माली, निवासी– हनुमान मन्दिर के पास, वीरवाडा के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शक्ति किराणा स्टोर के अन्दर रखे हुए खाद्य पदार्थ सरसों तेल डबल फिल्टर (जय अम्बे ब्राण्ड) की पैक्ड बोतलों (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ सरसों तेल डबल फिल्टर (जय अम्बे ब्राण्ड) की 4 पैक्ड बोतलों (प्रत्येक 500 एम.एल.) को सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत राशि रुपये 280/– (अक्षरे रुपये दो सौ अस्सी मात्र) प्रतिवादी विक्रेता निबाराम पुत्र खीमाराम माली को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1987, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ सरसों तेल डबल फिल्टर (जय अम्बे ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ सरसों तेल डबल फिल्टर (जय अम्बे ब्राण्ड) की चारों पैक्ड बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1987 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता निबाराम पुत्र खीमाराम माली व गवाह श्री प्रकाश कुमार माली के हस्ताक्षर कराये तथा श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता निबाराम पुत्र खीमाराम माली व गवाह प्रकाश कुमार माली तथा श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने कार्यालय में पहुंचकर प्रपत्र नम्बर VI की प्रतियां ......लगातार	

प्रति. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:41 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 15/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 20.1.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 19.1.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स शक्ति किराणा स्टोर, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता निबाराम पुत्र खीमाराम माली से खाद्य पदार्थ सरसों तेल डबल फिल्टर (जय अम्बे ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ सरसों तेल डबल फिल्टर (जय अम्बे ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1987 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./120/Act/2023/163 दिनांक 02.02.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ सरसों तेल डबल फिल्टर (जय अम्बे ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) पाया गया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी निबाराम पुत्र खीमाराम माली द्वारा प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ सरसों तेल डबल फिल्टर (जय अम्बे ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी निबाराम पुत्र खीमाराम माली, जाति– माली, निवासी– वीरवाडा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स शक्ति किराणा स्टोर, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ सरसों तेल डबल फिल्टर (जय अम्बे ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य ... की अधिसूचना क्रमांक ......लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:41 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 15/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामिलमें जारी हुए
	प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 व 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-strandard) खाद्य पदार्थ सरसों तेल डबल फिल्टर (जय अम्बे ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी निबाराम पुत्र खीमाराम माली, जाति– माली, निवासी– वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स शक्ति किराणा स्टोर, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी निबाराम पुत्र खीमाराम माली, जाति– माली, निवासी– वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स शिवशक्ति किराणा स्टोर, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 24.6.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:41 IST
Reason: SelfAttested